न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 150/2017 **दायरा दिनांक : 04.09.2017**

उनवान

1— स्वर्गीय किशनलाल वल्द गोपाल लाल, जाति चमार, निवासी जैपला, तहसील छबड़ा, जिला बारां मृतक कायम मुकामान :—

1/1— आशाराम पुत्र किशनलाल जाति चमार, निवासी जैपला, तहसील छबड़ा, जिला बारां

1/2— कैलाश पुत्र किशनलाल, जाति चमार, निवासी जैपला, तहसील छबड़ा, जिला बारां

1/3— रामप्रसाद पुत्र किशनलाल, जाति चमार, निवासी जैपला, तहसील छबड़ा, जिला बारां

1/4— स्वर्गीय हजारी पुत्र किशनलाल, जाति चमार, निवासी जैपला, तहसील छबड़ा, जिला बारां मृतक कायम मुकामान :—

4/1— लल्ता पत्नी हजारी, जाति चमार, निवासी जैपला, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4/2— गोविन्द पुत्र हजारी, जाति चमार, निवासी जैपला, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4/3— राजेन्द्र पुत्र हजारी, जाति चमार, निवासी जैपला, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4/4— दिनेश पुत्र हजारी, जाति चमार, निवासी जैपला, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4/5— सुरेश पुत्र हजारी, जाति चमार, निवासी जैपला, तहसील छबड़ा, जिला बारां

1/5— गोरधन पुत्र किशन लाल, जाति चमार, निवासी जैपला, तहसील छबड़ा, जिला बारां

1/6— रामसुखी पुत्री किशनलाल पत्नी नन्दलाल, जाति चमार, निवासी जैपला, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय छबड़ा, जिला बारां

2— सुरेश पुत्र चतरू, जाति चमार, निवासी आशापुरा (जैपला) तहसील छबड़ा, जिला बारां

3— ममता बाई पुत्री चतरू, जाति चमार, निवासी आशापुरा (जैपला) तहसील छबड़ा, जिला बारां

4— भंवरीबाई पत्नी चतरू, जाति चमार, निवासी आशापुरा (जैपला) तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 151/2017 दायरा दिनांक : 04.09.2017

उनवान

1— स्वर्गीय किशनलाल वल्द गोपाल लाल, जाति चमार, निवासी जैपला, तहसील छबड़ा, जिला बारां मृतक कायम मुकामान :—

1/1— आशाराम पुत्र किशनलाल जाति चमार, निवासी जैपला, तहसील छबड़ा, जिला बारां

1/2— कैलाश पुत्र किशनलाल, जाति चमार, निवासी जैपला, तहसील छबड़ा, जिला बारां

1/3— रामप्रसाद पुत्र किशनलाल, जाति चमार, निवासी जैपला, तहसील छबड़ा, जिला बारां

1/4— स्वर्गीय हजारी पुत्र किशनलाल, जाति चमार, निवासी जैपला, तहसील छबड़ा, जिला बारां मृतक कायम मुकामान :—

4/1— लल्ता पत्नी हजारी, जाति चमार, निवासी जैपला, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4/2– गोविन्द पुत्र हजारी, जाति चमार, निवासी जैपला, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4/3– राजेन्द्र पुत्र हजारी, जाति चमार, निवासी जैपला, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4/4– दिनेश पुत्र हजारी, जाति चमार, निवासी जैपला, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4/5– सुरेश पुत्र हजारी, जाति चमार, निवासी जैपला, तहसील छबड़ा, जिला बारां

1/5– गोरधन पुत्र किशन लाल, जाति चमार, निवासी जैपला, तहसील छबड़ा, जिला बारां

1/6– रामसुखी पुत्री किशनलाल पत्नी नन्दलाल, जाति चमार, निवासी जैपला, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय छबड़ा, जिला बारां

2– सुरेश पुत्र चतरू, जाति चमार, निवासी आशापुरा (जैपला) तहसील छबड़ा, जिला बारां

3– ममता बाई पुत्री चतरू, जाति चमार, निवासी आशापुरा (जैपला) तहसील छबड़ा, जिला बारां

4– भंवरीबाई पत्नी चतरू, जाति चमार, निवासी आशापुरा (जैपला) तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित– श्री महावीर प्रसाद बैरवा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बनवारी लाल मीणा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 08.01.2019

ये दोनों अपीलें समान पक्षकारों के मध्य एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के प्रकरण संख्या – 125/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट किशनलाल ने राजस्थान सरकार एवं रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम जैपला, तहसील छबड़ा जिला बारां के खसरा संख्या 71 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा व 72 रकबा 1 बीघा कुल रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि दिनांक 02.07.1962 को प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार छबड़ा द्वारा आवंटन की गई थी जिसका पट्टा गैर खातेदारी दर्ज कर रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा दिनांक 10.07.1962 को जारी कर वादीगणों के पूर्वज किशनलाल वल्द गोपाल चमार को दिया गया तथा उक्त कृषि भूमि का कब्जा भी अपीलार्थीगण के पूर्वज को उसी दिन से दे दिया गया । उसके पश्चात् उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त अपीलार्थीगण का चला आ रहा है अर्थात् एलोटमेंट के दिन से ही उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त अपीलार्थीगण का है जो वर्तमान में भी कायम है । राजस्व रेकार्ड में भी गैर खातेदारी दर्ज की जाकर नक्शे की तरमीम भी राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना था लेकिन राजस्व रेकार्ड की नकल निकलवाने से पता चला कि अपीलार्थीगण की गैर खातेदारी, खातेदारी राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेंट संख्या 1 तहसीलदार छबड़ा द्वारा दर्ज नहीं की गई जिससे अपीलार्थीगण का उक्त कृषि भूमि पर वर्ष 1962 से ही कब्जा काश्त तो चला आ रहा है लेकिन

खातेदार अधिकार राजस्व रेकार्ड में निहित नहीं हुए हैं । खसरा नम्बर 71 व 72 से वर्ष 1962 के पश्चात अलग अलग हिस्से किये जाकर वर्तमान में अलग अलग खसरान निर्मित कर दिये गये जिसमें अलग अलग खातेदार कायम है तथा खसरा नम्बर 71 रकबा 10 बीघा पर गंगाराम वल्द लालाराम, जाति चमार, निवासी आशापुरा जैपला है, जो अपीलार्थीगण की उक्त कृषि भूमि का पड़ौसी है जो अपनी खाातेदारी कृषि भूमि पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है । खसरा नम्बर 72 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 4 का राजस्व रेकार्ड में खातेदारी घोषित है जिसका खसरा नम्बर 71 व 72 के किसी भी हिस्से पर पूर्व से आज तक कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा तथा राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 ने खसरा नम्बर 72 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि में खातेदारी घोषित करवायी जो विधि विरूद्ध एवं गलत है । जिसके विरूद्ध अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :–

1– वादीगणों का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.10.2016 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगणों को नोटिस जारी किया गया । इसके पश्चात् आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.11.2017, 06.02.2017, 27.03.2017, 02.05.2017, 15,05.2017 को नियत की गई । उक्त तारीख पेशी पर प्रतिवादीगणों द्वारा किसी भी प्रकार का जवाब तलब नहीं किया गया और न ही जवाब दावा प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद पत्र को कैम्प जैपला में निस्तारित करते हुए खारिज फरमाया गया । जबकि वादीगणों का वाद पत्र संख्या 88/2016 अन्तर्गत धारा 188 राज0 टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया जिसे उक्त दावे में समेकित किया जाना चाहिए था । दोनों वादपत्रों की वस्तुस्थिति देखते हुए उक्त वादपत्रों का निस्तारण किया जाना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रकार से वादपत्रों का

अध्ययन किये उक्त वाद पत्र को खारिज फरमाया गया जो विधि विरूिद्ध है ।

2— अपीलार्थीगणों के पक्ष में गैर खातेदार आवंटन आदेश दिनांक 10.07.1962 के आधार पर दायर किया तथा गैर खातेदारी आवंटन से ही उक्त आराजी अपीलार्थीगणों के कब्जे काश्त में चली आ रही है उक्त वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकार अपीलाथीगणों का होना चाहिए था लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से अपीलार्थीगणों का नुकसान भुगतना पड़ रहा है । जो विधि विरूद्ध होने से अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है ।

3— रेस्पोडेंटगणों द्वारा उक्त कृषि भूमि पर कभी भी व किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं रहा है और न ही रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 4 के पक्ष में कोई आवंटन आदेश हुआ है । ऐसी सूरत में बिना रेकार्ड का अवलोकन किये उक्त वाद पत्र को निरस्त करने में त्रुटि की है ।

4— अपीलार्थीगणों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र को राजस्व कैम्प दिनांक 15.05.2017 को न्याय आपके द्वारा 2017 कैम्प जैपला के समक्ष सुनवायी हेतु प्रेषित किया गया जिसमें समस्त अपीलार्थीगण जो कि वाद पत्र के पक्षकार है उपस्थित नहीं थे और वाद को निरस्त फरमाया गया इसके पश्चात् वाद पत्र संख्या 88/2016 को स्वीकार करते हुए उक्त वाद पत्र में पूर्व वाद पत्र को हवाला देते हुए वाद खारिज फरमाया जो विधि विरूद्ध है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि प्रार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हुई लेकिन प्रार्थीगण के अधिवक्ता को जानकारी मिली तो प्रार्थीगण के

अधिवक्ता ने आदेश की सत्य प्रतिलिपि निकलवाई । अतः जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है, जिसमें उभय पक्षकारान ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । अपीलांटगण ने कोई विधिक राजीनामा पेश नहीं किया था और न ही लोक अदालत में उपस्थित हुए थे । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अपीलांट के द्वारा एक आवंटन पट्टा पत्र की प्रति पेश की गई है जो प्रमाणित नहीं है इसके अतिरिक्त अपीलांट के द्वारा गैर खातेदारी अथवा खातेदारी के अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं । अपीलांट के द्वारा पट्टा खातेदारी जो पेश किया गया है वह सन् 1962 का है । इतने लम्बे समय पश्चात भी अपीलांट की न तो गैर खातेदारी दर्ज हुई है और न ही किसी प्रकार का कोई आवंटन पत्र जारी हुआ है । अपीलांट का खातेदारी अधिकार का दावा प्रमाणित नहीं होता है । इसके अतिरिक्त एक अन्य पत्रावली जिसमें रेस्पोडेंट का काउंटर क्लेम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है उसके अनुसार रेस्पोडेंट उपरोक्त आराजी के खातेदार काश्तकार हैं । अपीलांट का उपरोक्त आराजी में किस प्रकार से कब्जा है

किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं होता है एवं कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के लिए राजस्व मण्डल की फुल बैंच में निर्णय दिनांक 30.08.2018 उनवान सरजू राव बनाम अमृत लाल अपील/डिक्री/टीए/5176/2002/कोटा वगैरह के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा